बिहार सरकार
शिक्षा विभाग
(प्राथमिक शिक्षा निदेशालय)
आदेश

पटना, दिनांक.....

संख्या–08 / आ०5–61 / 2024..... / जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण के पत्रांक 979 दिनांक 09.10.2024 द्वारा श्रीमती विभा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मांझी, सारण के विरूद्ध निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा मांझी प्रखंड अंतर्गत विद्यालय निरीक्षण में अनियमितता पाये जाने, क्षेत्राधीन विद्यालयों का नियमित जाँच / अनुश्रवण नहीं किया जाना, सरकारी कार्यों में लापरवाही, अपने दायित्त्वों का निर्वहन नहीं करना, उच्चाधिकारी के आदेश का अनुपालन नहीं करने तथा स्वेच्छाचारिता का आरोप प्रतिवेदित प्रतिवेदित करते हुए श्रीमती रानी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने की अनुशंसा की गयी।

2. प्राप्त पत्र एवं साक्ष्यों की छायाप्रति संलग्न करते हुए निदेशालय के पत्रांक 04 दिनांक 02.01.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी से लिखित बचाव अभिकथन की मांग की गयी। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त बचाव अभिकथन के समीक्षोपरान्त समर्पित बचाव अभिकथन संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण निदेशालय के आदेश ज्ञापांक 428 दिनांक 30.04.2025 द्वारा आरोपी पदाधिकारी के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त अनुशासनिक कार्यवाही के संचालन हेतु क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, सारण को संचालन पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण को उप स्थापन पदाधिकारी नामित किया गया।

3. संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, सारण के पत्रांक 49 दिनांक 17.03.2026 द्वारा सभी आरोपों को आंशिक रूप से प्रमाणित करते हुए जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया। प्रमाणित जाँच प्रतिवेदन को संलग्न कर आरोपी पदाधिकारी से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गयी। उक्त के अनुपालन में श्रीमती रानी के पत्रांक 341 दिनांक 10.04.2026 द्वारा लिखित अभ्यावेदन समर्पित किया गया। आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त लिखित अभ्यावेदन एवं संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये जाँच प्रतिवेदन की स्थिति निम्नवत् है :–

आरोप के मुख्य बिन्दु यथा निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा आरोपी पदाधिकारी के प्रखंडाधीन निरीक्षित विद्यालयों में विद्यालय का *संचालन सही* नहीं पाया गया एवं अन्य अनियमितता भी पाया गया। निदेशक, जन शिक्षा–सह–अपर सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना द्वारा मांझी प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भभौली, उच्च माध्यमिक विद्यालय, गोरहट, एन.पी.एस. गौरेया टोला, डुमाईगढ़

7

एवं प्राथमिक विद्यालय, सलेमपुर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के क्रम में नवसृजित प्रा०वि०, एन.पी.एस. गौरेया टोला, डुमाईगढ़ में नामांकित 110 छात्र/छात्राओं के विरूद्ध मात्र 16 छात्र/छात्राएँ उपस्थित थे। उक्त विद्यालय में एल.पी.जी. गैस की अनुपलब्धता के कारण विगत 10 दिनों से मध्याह्न भोजन नहीं बनाया गया था। विद्यालय के नीचले तल का 03 कमरा बंद पाया गया। नियत समय के अनुसार लंच ब्रेक नहीं हुआ था, विद्युत आपूर्ति नहीं पायी गई, बेंच डेस्क उपलब्ध नहीं पाये गए। विद्यालय में वर्ग कक्ष एवं छात्र–शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षकों की अधिक प्रतिनियुक्ति पायी गयी। उत्क्रमित मध्य विद्यालय, भभौली की भूमि पर आँगनबाड़ी सेवा केन्द्र का भवन बना है। उसपर स्थानीय परिवार पर कब्जा पाया गया। आरोपी पदाधिकारी द्वारा उक्त भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त विद्यालय में 08 वर्ग की पढ़ाई दो कमरे में हो रही थी। श्री रत्नेश कुमार सिंह, शिक्षक का भुगतान कई वर्षों से नहीं हो रहा है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदित है कि प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी से प्राप्त अभिमत तथा आरोपी पदाधिकारी के बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत आंशिक रूप से आरोप प्रमाणित होता है।

उक्त के आलोक में आरोपी पदाधिकारी के लिखित अभ्यावेदन में अंकित किया गया है कि विद्यालयों का संचालन ग्रामीण क्षेत्र में है। देहाती क्षेत्र के औसतन परिवारों में गरीब परिवार होता है जो अनेक प्रकार की समस्याओं से सामना करते हुऐ अपने बच्चों को विद्यालय भेजते है इसलिए छात्रोपस्थिति समान नहीं हो पाता है। इनके द्वारा विद्यालयों का निरीक्षण किया जाता है एवं अनियमितता के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाती है। मध्याह्न भोजन योजना कार्यक्रम का निरीक्षण साधन सेवी, मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा करके जिला कार्यकम पदाधिकारी, पी०एम० पोषण योजना, सारण को प्रतिवेदन जिला कार्यालय को समर्पित किया जाता है। जिससे संबंधित कारवाई जिला स्तर से की जाती है। आँधी–पानी मे विद्यालय नव प्रा० विद्यालय, गरैया टोला, डुमाईगढ़ के पोल का तार क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में विद्युत आपुर्ति बाधित था। पुनः क्षतिग्रस्त तार को ठीक करने के उपरांत विद्युत आपूर्ति सुचारू रूप से चालू हो गया। विद्यालय वर्ग कक्ष अधिक होने के कारण ऊपरी तल्ले पर वर्ग संचालन होता है एवं विद्यालय में चहारदिवारी नहीं होने के कारण नीचले तल्ले के कमरो को बन्द रखा गया था। जिला के सभी विद्यालयों मे जिला स्तर से बेंच डेस्क उपलब्ध कराया जा रहा था। जिसके कारण निरीक्षण के समय बेंच डेस्क नहीं था। पुनः बेंच डेस्क उपलब्ध करा दिया गया है। उ० म० वि०, भभौली, माँझी, सारण की भूमि पर आँगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के स्तर से कराया जाता है। ग्रामीण परिवार द्वारा उक्त भूमि पर कब्जा किये गए आँगनबाड़ी केन्द्र को अतिक्रमण मुक्त कराने हेत्तु अंचलाधिकारी, माँझी, सारण को पूर्व में प्रतिवेदित किया गया था जिसे प्रखंड विकास पदाधिकारी, माँझी,

सारण के सहयोग से अतिक्रमण मुक्त करा दिया गया है। विद्यालय के शेष भूमि पर पूर्व से ही दो कमरों का निर्माण हुआ है। क्योंकि पूर्व में विद्यालय प्राथमिक स्तर तक ही संचालित होता था। एक शिक्षक रत्नेश कुमार सिंह जिनका पदस्थापन ही संदिग्ध था जिसके कारण वेतन भुगतान नहीं होता है। उनपर तत्कालीन प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, माँझी, सारण के द्वारा मॉझी थाने में FIR दर्ज है। स्थानीय दबंगता के कारण ही वे विद्यालय में बने हुए थे। किन्तु आरोपी पदाधिकारी द्वारा कृत्त कार्रवाई के आधार पर उनको विद्यालय से हटाया गया।

4. गठित आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन तदालोक में प्राप्त लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत स्पष्ट होता है कि आरोपी पदाधिकारी द्वारा अपने प्रखंडाधीन विद्यालयों का सम्यक् प्रभावी निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण विद्यालय का संचालन प्रभावी तरीके से होते हुए नहीं पाया गया एवं विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति कम पायी गई। मध्याह्न भोजन का संचालन बाधित पाया गया, इसके साथ ही अन्य तरह की अनियमितता पाई गई। अपने प्रखंड अंतर्गत विद्यालयों का प्रभावी तरीके से संचालन एवं विद्यालय संबंधी सभी अन्य तरह का समस्या का निदान कराया जाना इनका कर्तव्य है। उक्त से स्पष्ट है कि इनके द्वारा अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन नहीं किया गया है।

5. अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 (समय–समय पर यथा संशोधित) के नियम 14 (v) के तहत श्रीमती विभा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मांझी, सारण के विरूद्ध "संचयी प्रभाव के बिना एक वेतन वृद्धि पर रोक" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

इसके साथ ही इस मामले को निष्पादित किया जाता है।

ह०/–
(विक्रम विरकर)
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)

ज्ञापांक–08/आ०–05–61/2024 ...687.../ पटना, दिनांक 19.05.2026

प्रतिलिपिः–संचालन पदाधिकारी–सह–क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, सारण प्रमंडल, छपरा/जिला शिक्षा पदाधिकारी, सारण/जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), सारण/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी/श्रीमती विभा रानी, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, मांझी, सारण एवं आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

19/05/26
निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)